



2026:AHC:171990

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस

संख्या - 8321 वर्ष 2026

हिमांशु राणा (नाबालिग)

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अनन्या उपाध्याय, राकेश चंद्र उपाध्याय

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका आवेदक की ओर से प्रकरण अपराध संख्या 98 वर्ष 2026, धारा 319(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता और धारा 8, 13 उत्तर प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, थाना- हापुड़ नगर, जिला हापुड़ में दायर की गई है, जिसमें आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है क्योंकि आवेदक को उपरोक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी का डर है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वह नाबालिग है, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष और 10 महीने है। आरोप यह है कि असली परीक्षार्थी के स्थान पर हल करने वालों ने परीक्षा दी। आवेदक को मौके पर गिरफ्तार नहीं किया गया था, और उसका नाम विवेचना में और सह-आरोपी के इकबालिया बयान में एक महीने और दस दिन बाद सामने आया है। आवेदक का कोई आपराधिक अभिलेख नहीं है।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, हालांकि, वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक दलीलों का खंडन नहीं कर सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. प्राथमिकी में रमन और सतवीर नाम के दो आरोपियों के नाम दर्ज किए गए हैं। आरोप आयुष परीक्षार्थी की ओर से हल करने वाले रमन पर है। घटना के एक महीने और दस दिन बाद विवेचना में पता चला कि आवेदक भी हल करने वालों में से एक था। आवेदक का कोई आपराधिक अभिलेख नहीं है। वह नाबालिग बताया जा रहा है और इस प्रकरण में जेल भेजे जाने पर उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा।

6. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आवेदक की नाबालिगता और आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव को ध्यान में रखते हुए और प्रकरण की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

7. उपरोक्त के मद्देनजर, आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

8. आवेदक **हिमांशु राणा (नाबालिग)**, की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त प्रकरण में अग्रिम जमानत पर वर्तमान रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह संबंधित थाना/न्यायालय के थाना प्रभारी की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत बांड और जमानती प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- i. आवेदक को आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराना होगा;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा नहीं;

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस अग्रिम जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें प्रकरण की खूबियों पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल)

14 अगस्त, 2026

एस.ए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।